

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
DEPARTMENT OF EX-SERVICEMEN WELFARE
LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 263
TO BE ANSWERED ON 03rd February, 2023

DISABILITY PENSION TO DEFENCE PERSONNEL

263. SHRI CHANDESHWAR PRASAD:

Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

- (a) the total number of defence personnel provided disability pension during the last five years and the current year, year-wise;
- (b) whether the Government is aware that some army officers have not got their disability and service pension even after one year of their discharge from service;
- (c) if so, the details of total number of such cases pending till date along with the reasons for delay in crediting their disability and service pension;
- (d) whether the Government has given any assurance in this regard; and
- (e) if so, the details thereof?

A N S W E R

MINISTER OF STATE
IN THE MINISTRY OF DEFENCE

(SHRI AJAY BHATT)

(a): Year-wise details of total number of Defence Pensioners granted disability pension during the last five years and current year are as follows: -

Year	Invalided out	Completing their term of engagement and granted Service Pension + Disability Element	Total
2018	5420	6889	12309
2019	5279	7782	13061
2020	4322	8082	12404
2021	3672	7548	11220
2022	5288	11007	16295
January, 2023	363	460	823
Total	24344	41768	66112

(b): There is no pension claim of Defence Forces Personnel pending beyond prescribed limit for notification which qualify as per extant policies/rules of the Government for grant of Disability Pension and Disability Element + Service Pension.

(c) to (e): In view of (b) above, question does not arise.

भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 263
03 फरवरी, 2023 को उत्तर के लिए

रक्षाकर्मियों को निःशक्तता पेंशन

263. श्री चन्देश्वर प्रसाद :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) विगत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान निःशक्तता पेंशन प्राप्त करने वाले रक्षा कर्मियों की वर्ष-वार कुल संख्या कितनी है ;
- (ख) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि सेना के कुछ अधिकारियों को सेवा से मुक्त होने के एक वर्ष बाद भी उनकी निःशक्तता और सेवा पेंशन नहीं मिली है ;
- (ग) यदि हां, तो अब तक ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या का ब्यौरा क्या है और उनकी निःशक्तता और सेवा पेंशन जमा करने में हुई देरी के क्या कारण हैं ;
- (घ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई आश्वासन दिया है ; और
- (ङ.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय भट्ट)

(क): विगत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान निःशक्तता पेंशन प्राप्त करने वाले रक्षा पेंशनभोगियों की कुल संख्या का वर्ष-वार ब्यौरा निम्नानुसार है :

वर्ष	अमान्य घोषित	अपने कार्यकाल की अवधि पूर्ण करने और सेवा पेंशन + निःशक्तता पक्ष प्राप्त करने वाले	कुल
2018	5420	6889	12309
2019	5279	7782	13061
2020	4322	8082	12404
2021	3672	7548	11220

2022	5288	11007	16295
जनवरी, 2023	363	460	823
कुल	24344	41768	66112

(ख): निःशक्तता पेंशन और निःशक्तता पक्ष + सेवा पेंशन देने के लिए सरकार की वर्तमान नीतियों/नियमों के अनुसार निर्धारित रक्षा सेना कर्मियों का कोई भी पेंशन दावा अधिसूचना के लिए निर्धारित सीमा से अधिक लंबित नहीं है ।

(ग) से (ड.) : उपर्युक्त (ख) के आलोक में प्रश्न नहीं उठता ।
